न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद पत्र संख्या 328 / 2016

1.सूरजकरण पुत्र श्री रामकिशन जाट
2. रामधन पुत्र रामकिशन जाट
निवासीगण काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——वादीगण

बनाम

1. कंचन पुत्री तीजू जाति ब्राहमण
2. रामकन्या पुत्री तीजू जाति ब्राहमण
3. मनभर पुत्री तीजू जाति ब्राहमण
4. छोटी पुत्री तीजू जाति ब्राहमण
5. रामेश्वर पुत्र भूरा जाति ब्राहमण
6. लादू पुत्र मोहन जाति ब्राहमण
तमाम निवासीगण ग्राम काबरिया तहसील केकड़ी जिला–अजमेर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू अभिलेख एवं उप पजीयक केकड़ी——**प्रतिवादीगण**

वादपत्र अंतर्गत धारा 88,188,209 राज0टेनेन्सी एक्ट

उपस्थितः– श्री हेमन्त जैन वकील– वादी
श्री भंवरलाल शर्मा –वकील प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 10 .12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र अंतर्गत धारा 88,188,209राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया। ग्राम कादेड़ा की जमाबंदी मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित थी–

खाता संख्या नई – पुरानी		खसरा सख्या	रकबा (बीघा मे)	किस्म
405	–	219	19.13.00	बारानी 1

उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड के अनुसार नये नंबर बने है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

खाता संख्या नई – पुरानी		खसरा सख्या	रकबा (है0में)	किस्म
344	307	120 121	0.99 0.60	बारानी 1
		कुल किता 2	1.59	

खाता संख्या नई – पुरानी		खसरा सख्या	रकबा (है0)	किस्म
435	391	118	0.80	बारानी 1

खाता संख्या नई – पुरानी		खसरा सख्या	रकबा (है0में)	किस्म
191	164	119	0.79	बारानी 1

उक्त वर्णित आराजीयात खसरा नंबर 219 के नये नंबर 120,121,118,119 बने है जो मु0 तीजू बेवा मोडू,रामेश्वर वल्द भूरा 1/2 हिस्सा एवं नारायण,मोहन पुत्र प्रताप 1/2 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। उक्त वर्णित आराजीया तमे तीजू बेवा मोडू व रामेश्वर पुत्र भूरा 11/12 हिस्सा था ने अपनी सम्पूर्ण आराजीयात को दो अलग अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 12.08.74 के गोपाल पुत्र रामकिशन जाट व नाथूदास पुत्र भूरादास साधू को बेचान कर दी तथा आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे उनके नाम दर्ज कर दी गई है। वर्तमान मे आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे उनके नाम दर्ज कर दी गई है तथा वर्तमान मे उक्त आराजी खसरा नंबर 118,119 कमशः नाथूदास व गोपाल के नाम दर्ज है। वाद वर्णित आराजीयात में नारायण पुत्र प्रताप का 1/4 हिस्सा था तथा नारायण की मृत्यु के उपरांत उसकी पानी बेवा नारायण द्वारा उक्त आराजीया तमे अपने /4 हिस्से को वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड़ विक्रय पत्र दिनांक 28.05. 2019 के वादीगण को बेचान कर दिया गया तथा तत्पश्चात उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे वर्किंग जमाबदी संवत् 2041मे रामधन,सूरजकरण पुत्र रामकिशन के नाम इन्द्राज भी कर दी गई है। अतः आराजी खसरा नंबर 2119 रकबा 9.13.00बीघा मे 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इस हेतु जमाबदी मे इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा इस हेतु जमाबंदी मे इन्द्राज दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत6 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे तथा वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण मय उनके एजेण्ट,रिश्तेदारार आदि को जरिये न्यायालय की स्थायी निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबंद किया जावे कि वे आराजी को वाद के निर्णय तक किसी भी प्रकार से रहन बक्षीस या विक्रय नहीं कर तथा न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे वादीगण आराजीयात के शातिपूर्ण कब्जे उपयाग उपभोग से बेदखल हों।वाद का खर्चा व अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलवाया जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 की और से श्री भंवर लाल शर्मा वकील ने जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सख्या 1,3,4 की और से श्री द्वारका प्रसाद पंचोली ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। श्री पंचौली को

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

जवाब प्रस्तुत करने हेतु काफी अवसर दिये किन्तु श्री पंचौली ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा जवाब सरकार भी प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसी स्थिति मे उनका जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रस्तुत नही होने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 6 की और से जवाब सहमति का प्राप्त होने से तनकीयात कायम किये जाने की कोई आवश्यकता नही रही है। वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 6 के वकील हाजिर है। तथा श्री द्वारका प्रसाद पंचौली हाजिर नहीं है। वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 6 के अभिभाषकगण ने शहादत वादी व प्रतिवादी नहीं करवायी जाकर सीधे बहस का आग्रह किया गया। पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस सुनी गई गई। वादीगण के लायक वकील श्री हेमन्त जैन ने अपनी बहस मे बताया कि पुराने खसरा नंबर 219 रकबा 1913.00बीघा का आधा हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबद किया जावे वे आराजी वादवर्णित मे वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 6 के लायक अभिभाषक श्री भंवरलाल शर्मा ने अपनी बहस मे बताया कि खसरा नबर 120 रकबा 0.99 व खसरा नबर 121 रकबा 0.60 है0 स्थित कादेड़ा का मौके पर 1/2हिस्सा नापकर सभलाया जावे। तथा प्रतिवादी सख्या 6 के हिस्से की अलग जमाबदी कायम की जावे।

अनुतोष

वादी का वाद ग्राम कादेड़ा की जमाबंदी के खाता संख्या नई–पुरानी 405–0 के खसरा संख्या 219 रकबा 19.13.00बीघा जिसके नये नंबर 120,121,118,119 जिसका रकबा क्रमशः 0.99,0.60,0.80,0.79 मे से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत् स्वीकार किया जाता है।का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

निर्णय

वादी का वाद ग्राम कादेड़ा की जमाबंदी के खाता संख्या नई–पुरानी 405–0 के खसरा संख्या 219 रकबा 19.13.00बीघा जिसके नये नंबर 120,121,118,119 जिसका रकबा क्रमशः 0.99,0.60,0.80,0.79 मे से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत् स्वीकार किया जाता है। इसी तरह खसरा नंबर 120रकबा 0.99,खसरा नंबर 121रकबा 0.60 है0 मे से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है,शेष इन्द्राज यथावत् रहेगा। तहसीलदार केकड़ी राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने की कार्यवाही करे। प्रतिवादीगण को मय उनके एजेण्ट रिश्तेदारान आदि को जरिये न्यायालय की स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादीगण के हक हिस्से तक आराजीयात का रहन बेचान नहीं करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.11 11:16:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: